होंगे। इस सन्दर्भ में विद्यापरिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही/निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–4

शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–683/ सत्तर–1–2015–16(74)/2011 दिनांक 28–08–2015 पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यलयों मे लागू किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–5

सी0बी0सी0एस0 प्रणाली परास्नातक स्तर पर प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने सी0बी0सी0एस0 प्रणाली परास्नातक स्तर पर आगामी शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रारम्भ किये जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की। साथ ही इससे सम्बन्धित अन्य सभी कार्य ससमय पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/विषय प्रभारियों से इस सन्दर्भ में पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या तैयार करने तथा बोर्ड आफ स्टडीज़ की बैठक आहूत कर पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या पास कराकर शीघ्र कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–6

अन्य बिन्दु– माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–6.1

सी0बी0सी0एस0 के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।